

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

No. 17]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2009/अग्रहायण 11, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2009/AGRAHAYANA 11, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2009

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2009

का.नि.आ. 19(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 7 दिसम्बर, 2009 से कोच्ची में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता केरल और कर्नाटक राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सेल)]

आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

S.R.O. 19(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Kochi with effect from 7th day of December, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of Kerala and Karnataka and Union territory of Lakshadweep.

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

ANAND MISRA, Jt. Secy.